न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–कुमार पाल गौतम,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 61/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
जालमसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर		1. हेमसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर 2. पदमसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री आईदानराम भाटी ।
2. अप्रार्थी की और से वकील श्री ठाकुर प्रसाद राठी।

आदेश दिनांक– 22-2-18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद संख्या–1/2012 जालम सिंह बनाम हेमसिंह वगैरा को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी का एक दावा न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना में राजस्व वाद संख्या 1/2012 वादी जालमसिंह बनाम हेमसिंह वगैरा अनवान का लम्बित है जिसकी हाल ही में दिनांक 16.10.2017 को पेशी नियत थी। जिस वाद को प्रार्थी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के पीठासीन अधिकारी श्री उत्तमसिंह जो कि प्रतिवादी पदमसिंह का बेटा कमलसिंह जो वर्तमान में पंचायत समिति वार्ड नं. 17 डीडवाना का सदस्य है जिसके भुआ सास का लडका उक्त पीठासीन अधिकारी होने से प्रतिवादीगण का नजदीकी रिश्तेदार है जो प्रतिवादीगण को गैर कानूनी रूप से मदद कर उक्त वाद खारिज करने पर आमादा है। उक्त प्रतिवादी पदमसिंह वर्तमान में ग्रामीण भा.ज.पा. मण्डल खुनखुना का अध्यक्ष है तथा पीठासीन अधिकारी के घरेलू संबंध होने से प्रतिवादी पदमसिंह प्रार्थी/वादी को खुले आम कहता है कि मै जबरदस्ती तुम्हारे वाद को खारिज करवाने के लिए पक्षकार बन गया हूँ व एस.डी.एम. साहब मेरे रिश्तेदार है इसलिए मै जैसा चाहुंगा उन से अपने पक्ष में फैसला करवा लुंगा। पदमसिंह व उसका पुत्र कमलसिंह एस.डी.एम. उत्तम सिंह के घर/क्वाटर पर आते जाते है व एस.डी.एम. कार्यालय व चेम्बर में भी आते जाते है व उनके साथ घण्टो बैठकर बातचीत करते है चाय पानी पीते है तथा पदमसिंह वादी/प्रार्थी के दावे मे व इस प्रकार के अन्य दावों में भी पीठासीन अधिकारी उसके रिश्तेदार होने से रिश्तेदारी की आड में अनावश्यक रूप से पक्षकार प्रतिवादी बन चुका है व अब प्रार्थी के वाद का अपने पक्ष में निर्णय करवाना चाहता है व अन्य कई व्यक्तियों को भी दुखी कर चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है जिससे उक्त प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निर्णय हेतु मुन्तकिल किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। न्याय का यह सिद्धान्त है कि पीठासीन अधिकारी यदि किसी मामलें सं संबंद्ध पक्षकारों से संबंद्ध/रिश्तेदार हो या उनके मेलमिलाप के हो तो उनको उस प्रकरण में कार्यवाही नहीं करनी चाहिए और अन्य सक्षम न्यायालय को मामला ट्रांसफर करने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए, ऐसा सिद्धान्त है कि न्याय केवल होना भी नहीं चाहिए बल्कि पक्षकारों को यह महसूस होना चाहिए कि न्याय हो रहा है। इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद को अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना पीठासीन अधिकारी श्री उत्तमसिंह के न्यायालय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु मुन्तकिल किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है ताकि पक्षकारान के साथ न्याय हो सके। प्रकरण में उक्त दावे की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 23.02.2017 की

कलक्टर, नागौर

आदेशिका में दिनांक 20.12.2016 को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का आवेदन स्वीकार करने का हवाला दिया गया है व उक्त पदमसिंह को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया, पत्रावली साक्ष्य हेतु रखी गई। दिनांक 10.03.2017 की आदेशिका में लिख दिया कि उक्त आदेशिका सहवन से लिखी गयी है। इसी प्रकार दिनांक 21.03.2017 की आदेशिका में राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी पेश होना व मूल पत्रावली को न्यायालय से तलब करना व मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश हो रखा है व दिनांक 22.06.2017 को राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक 7641 दिनांक 13.06.2017 के द्वारा पत्रावली पुनः प्राप्त होने का अंकन है परन्तु उक्त आदेशिका में पत्रावली को डिस्पेच करने आदि का आदेशिका में इन्द्राज नहीं है। दिनांक 10.07.2017 की आदेशिका में भी पदमसिंह को पक्षकार बनाने का वापिस हवाला देते हुए लाल स्याही से अंकन करने व जवाब हेतु नियत बतायी गयी है जबकि उक्त आदेश पूर्व की आदेशिका में आ चुका है। इस प्रकार नजदीक पेशीयां देकर प्रार्थी का वाद उक्त पदमसिंह खारिज करवाने पर आमादा है जिससे आदेशिका के अवलोकन से भी साफ जाहिर है कि प्रतिवादी पदमसिंह ने मनमर्जी से आदेशिका दर्ज करवाई जाने का कथन करते हुए उक्त वाद संख्या 1/2012 उनवान जालमसिंह बनाम हेमसिंह वगैराह को अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना पीठासीन अधिकारी श्री उत्तमसिंह के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में अग्रीम कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित करवाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वाद चलने के तथ्य से विरोध नहीं, परन्तु उक्त वाद प्रार्थी मुन्तकिल करवाने का अधिकारी नहीं है। कमलसिंह पंचायत समिति सदस्य होने के तथ्य से विरोध नहीं, आवेदन के मद संख्या 2 में शेष दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। श्री उत्तमसिह कमलसिंह के भुआ सास का लडका होने एंव नजदीकी रिश्तेदार होने के कारण से उक्त वाद खारिज करने पर आमादा है, आदि कथन गलत होने से अस्वीकार है। पदमसिंह वर्तमान में भाजपा ग्रामीण मण्डल खुनखुना का अध्यक्ष होने के तथ्य से विरोध नहीं, परन्तु इनका पीठासीन अधिकारी से घरेलू संबंध होना, इसके द्वारा खुले आम कहना कि मै जबरदस्ती वाद को खारिज करवाने के लिए पक्षकार बन गया हूँ, मै चाहूंगा जैसा फैसला होगा, पदमसिंह व उसका पुत्र कमलसिंह एस.डी.एम. के घर व चेम्बर में आते जाते रहते है व साथ–साथ चाय पानी पीते है, अनावश्यक रूप से पक्षकार बने है, वादी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है जिससे उक्त प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवायी व निर्णय हेतु मुन्तकिल किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है, आदि कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन कि पीठासीन अधिकारी यदि किसी संबंध पक्षकारो से रिश्तेदार या मेलमिलाप हो तो उन्हे फाईल ट्रांसफर कर देनी चाहिए, आदि कथन गलत होने से अस्वीकार है। वस्तुतः एस.डी.एम. का न तो किसी से मेलमिलाप है एंव न ही किसी से रिश्तेदारी है। आदेशिकाओं में जो गलती बता रहे है ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल मात्र माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, आदेशिकाओं में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है प्रार्थी का यह कथन कि नजदीक पेशियां लेकर उक्त वाद खारिज करवाने पर पदमसिंह आमादा है, आदि समस्त कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र पूर्णतया झूठे, निरर्थक एंव बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी , पदमसिंह व कमलसिंह को लेकर जो आरोप लगाये गये है वे समस्त आरोप पूर्णतया कपोल कल्पित व मिथ्या है। ऐसे आरोपो पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता न ही पत्रावली ट्रांसफर की जा सकती है। उक्त पत्रावली पुरानी पत्रावली है अगर किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी पत्रावली को निस्तारित नहीं किया जाता है तो वैसे आरोप लगता है कि पीठासीन अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है। जब किसी पत्रावली का निस्तारण किया जाता है तो उस पर यह आरोप लगता है कि उसने मिलावट कर ली है तथा पत्रावली का निस्तारण क्यो कर रहा है। यह दोनो ही परिस्थितियां किसी पीठासीन अधिकारी के लिए अत्यन्त दुष्कर हो जाती है। इसी का परिणाम इस प्रकार की झूठी ट्रांसफर आवेदन पत्र होते है, ऐसे आवेदन पत्र विशेष हर्जाना रूपये 10,000/– के साथ खारिज होने योग्य है। प्रार्थी का उक्त आवेदन पत्र सव्यय निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में वकीले प्रार्थी का कथन की वर्तमान में उक्त दावे की आदेशिका दिनांक 23.02.2017 की आदेशिका में

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

दिनांक 20.12.2016 को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का आवेदन स्वीकार करने का हवाला दिया गया है व उक्त पदमसिंह को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया, पत्रावली साक्ष्य हेतु रखी गई। दिनांक 10.03.2017 की आदेशिका में लिख दिया कि उक्त आदेशिका सहवन से लिखी गयी है। इसी प्रकार दिनांक 21.03.2017 की आदेशिका में राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी पेश होना व मूल पत्रावली को न्यायालय से तलब करना व मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश हो रखा है व दिनांक 22.06.2017 को राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक 7641 दिनांक 13.06.2017 के द्वारा पत्रावली पुनः प्राप्त होने का अंकन है परन्तु उक्त आदेशिका में पत्रावली को डिस्पेच करने आदि का आदेशिका में इन्द्राज नहीं है। वकील प्रार्थी के उक्त कथन के संबंध में आदेशिकाओं का अवलोकन किया, उक्त आदेशिकाओं में सामान्य त्रुटियां है, उक्त आदेशिकाओं से प्रकरण के पक्षकार का कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

वकील प्रार्थी का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना श्री उत्तमसिंह जो कि प्रतिवादी पदमसिंह का बेटा कमलसिंह का रिश्तेदार है, जो गैर कानूनी रूप से मदद कर उक्त वाद को खारिज करने पर आमादा है। उक्त प्रतिवादी पदमसिंह वर्तमान में ग्रामीण भा.ज.पा. मण्डल खुनखुना का अध्यक्ष है तथा पीठासीन अधिकारी के घरेलू संबंध होने से प्रतिवादी पदमसिंह प्रार्थी/वादी को खुले आम कहता है कि मै जबरदस्ती तुम्हारे वाद को खारिज करवाने के लिए पक्षकार बन गया हूँ व एस.डी.एम. साहब मेरे रिश्तेदार है इसलिए मै जैसा चाहुंगा उन से अपने पक्ष में फैसला करवा लुंगा। पदमसिंह व उसका पुत्र कमलसिंह एस.डी.एम. उत्तम सिंह के घर/क्वाटर पर आते जाते है व एस.डी. एम. कार्यालय व चेम्बर में भी आते जाते है व उनके साथ घण्टो बैठकर बातचीत करते है चाय पानी पीते है तथा पदमसिंह वादी/प्रार्थी के दावे मे पीठासीन अधिकारी उसके रिश्तेदार होने से रिश्तेदारी की आड में अनावश्यक रूप से पक्षकार प्रतिवादी बन चुका है व अब प्रार्थी के वाद का अपने पक्ष में निर्णय करवाना चाहता है।

वकील प्रार्थी के उक्त कथन के विरूद्ध वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी पदमसिंह का पुत्र कमलसिंह पीठासीन अधिकारी का रिश्तेदार होने तथा प्रतिवादी पदमसिंह प्रार्थी/वादी को खुले आम कहता है कि मै जबरदस्ती तुम्हारे वाद को खारिज करवाने के लिए पक्षकार बन गया हूँ व एस.डी.एम. साहब मेरे रिश्तेदार है इसलिए मै जैसा चाहुंगा उन से अपने पक्ष में फैसला करवा लुंगा। पदमसिंह व उसका पुत्र कमलसिंह एस.डी.एम. उत्तम सिंह के घर/क्वाटर पर आते जाते है व एस.डी.एम. कार्यालय व चेम्बर में भी आते जाते है व उनके साथ घण्टो बैठकर बातचीत करते है चाय पानी पीते है के वकील प्रार्थी के कथनों को बेबुनियाद बताते हुवे अस्वीकार किया है।

प्रकरण में प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी पदमसिंह पर लगाये गये उक्त आरोपों के संबंध में यथा पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी पदमसिंह के पुत्र कमल सिंह का रिश्तेदार होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा प्रतिवादी पदमसिंह द्वारा प्रार्थी/वादी को खुले आम कहना कि मै जबरदस्त तुम्हारे वाद को खारिज करवाने के लिए पक्षकार बन गया हूँ व एस.डी.एम. साहब मेरे रिश्तेदार है इसलिए मैं जैसा चाहूँगा उन से अपने पक्ष में फैसला करवा लूंगा। प्रतिवादी पदमसिंह द्वारा उक्त कथन किस दिनांक को कहां पर व किसके सामने प्रार्थी को कहे, इस संबंध में भी वकील प्रार्थी ने अपनी बहस व आवेदन में कोई कथन नहीं किये गये है। प्रार्थी द्वारा स्वंय के कथन एवं स्वंय के शपथ पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस साक्ष्य के प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर